



राज्य आयुक्त निःशक्तता



निःशक्तजन सेवार्थ
निःशक्तजन हितार्थ

विभिन्न विभागों द्वारा निःशक्तजन हेतु
प्रदत्त सुविधाओं से संबंधित अधिनियम,
राज्यादेशों एवं परिपत्रों का
संकलन



“समान अवसर समान अधिकार
इन्हें भी मिले शिक्षा और प्यार”

“विकलांग जन को देना है अधिकार
रहे न यह उपेक्षित और बेकार”

कार्यालय

राज्य आयुक्त निःशक्तता

सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय

पटना - 800 015 (बिहार)

दूरभाष : 0612-2215041 फ़ैक्स : 0612-2215152